भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3296
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

बच्चों हेतु स्वास्थ्यवर्धक आहार

3296. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत संतुलित आहार, सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों, प्रोटीन पूरकता और पोषण शिक्षा तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बच्चों के लिए पोषण सुरक्षा बढ़ाने पर दिए गए फोकस का ब्यौरा क्या है;
(ख) बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर खाने की आदतों, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और उम्र संबंधी उचित पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देकर माता-पिता, देखभाल करने वाले व्यक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच जानकारी आधारित आहार संबंधी विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है;
(ग) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), पोषण अभियान/संबंधित योजनाओं के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पोषण संबंधी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) वैज्ञानिक पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, पोषण विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और खाद्य उद्योग के हितधारकों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) बच्चों के बेहतर विकास, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और वहनीयता/पहुंच में सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0(मिशन पोषण 2.0) ने बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) सहित सभी लाभार्थियों के लिए पूरक पोषण का प्रावधान किया है। यह टेक-होम

राशन (टीएचआर), सुबह के नाश्ते और पके हुए गर्म भोजन (एचसीएम) के रूप में प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों को जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पुराने मानदंड काफी सीमा तक कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, डाइटरी फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी6 और विटामिन बी-12) प्रदान करते हैं। गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों (6 माह से 5 वर्ष) को टीएचआर के रूप में अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने हाल ही में पूरक पोषण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें पूरक पोषण की गुणवत्ता, विविधता और स्वीकार्यता में सुधार लाने, निर्धारित पोषण मानकों और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन पर बल दिया गया है। दिशानिर्देश देखभाल करने वालों के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, टीएचआर के उपयोग और लाभों को बढ़ावा देते हैं, जिसमें आयु-उपयुक्त पूरक आहार प्रथाओं पर परामर्श शामिल है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएन) द्वारा जारी भारतीयों के लिए आहार दिशानिर्देश, 2024 के अनुरूप दैनिक आहार में खाद्य तेलों, नमक और शर्करा की खपत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग करके स्थानीय पसंद/स्वाद के आधार पर पूरक पोषण के लिए राज्य-विशिष्ट व्यंजन तैयार करने के लिए पोषण विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों, जैसे आईसीएमआर-एनआईएन, कृषि विश्वविद्यालयों, गृह विज्ञान कॉलेजों आदि से परामर्श करें।

पूरक पोषण की स्वीकार्यता और खपत में सुधार करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय खाद्य आदतों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और स्वदेशी अवयवों की उपलब्धता के आधार पर मेनू और व्यंजनों को तैयार करने के लिए पूर्ण लचीलापन दिया गया है। पूरक पोषण में स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज, श्री अन्न, दालें, सब्जियां, नट्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिससे लाभार्थियों के बीच अधिक स्वीकृति सुनिश्चित करते हुए आहार विविधता को बढ़ावा मिलता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रसार है क्योंकि सुपोषण की आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलनों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण गतिविधियों का संचालन और रिपोर्ट कर रहे हैं। 2018 से 16 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां

आयोजित की गई हैं जिनमें से प्रत्येक ने न केवल लक्षित लाभार्थियों बल्कि बड़े पैमाने पर समुदायों को संवेदनशील बनाने में सहायता की है।

समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रत्येक माह दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। अब तक, अप्रैल 2022 से जून 2026 तक पोषण ट्रैकर पर लगभग 10.5 करोड़ सीबीई की सूचना दी गई है।
